FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बअदालत सहायक कलक्टर एवं उपखंड मुकाम बायतु

खुशालाराम बनाम अर्जुनराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० मा० 111,128 RLRAct नं. 51/17 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/02/17	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री सुरेश कुमार पूनड़ ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17/04/2017 को पेश हो। [signature]	
17.4.17	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा व विप्रार्थी संख्या 4,5 की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा अण्डर टेकिंग ली गई। शेष विप्रार्थीगणों के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये 30 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो चुके है जिनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विप्रार्थी संख्या 1 की फौती सूचना कायम मुकाम व संशोधित विवरण मय विप्रार्थी संख्या 1 के कायम मुकाम के नोटिस मय रजिस्ट्री खर्चा पेश किया जिसे जारी किया गया। अत: पत्रावली वास्ते दिनांक 18/05/17 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	मेरे द्वारा विप्रार्थी सं० 4,5 कि undertaking ली जावें [signature] (नरपत पूनड़ A.) Undertaking विप्रार्थी नं 2 [signature]

18/05/17

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार-अभियान-2017 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बायतु पनजी में रखी गई, प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये, विपक्षी संख्या-2 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ व विपक्षी संख्या-4,5 की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा अण्डर टैकिंग की पूर्व में ली गई थी जिनकी ओर से कोई वकालतनामा या जवाब पेश नहीं किया गया प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई, प्रार्थी वकील द्वारा बताया कि प्रार्थी ने पूर्व में कपते खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान करवाया गया जिसकी प्रति प्रार्थी वकील द्वारा पेश की गई, प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी के कपते खातेदारी खेतों के चारों ओर पक्के नेवम स्थापित करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेवमबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेवमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की ~~पक्की~~ नेवमबन्दी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली मिसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

...ांक / वाद / 2017
खुशालारा...
मेघवाल नि...
पनजी तह...

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2017/ 344

दिनांक– 18/05/2017

प्रार्थी

1. खुशालाराम पुत्र खेताराम जाति मेघवाल निवासी पुराना गांव, बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. अर्जुनराम पुत्र भीखाराम के कायम मुकाम
1.1. ईशराराम पुत्र अर्जुनराम
1.2. लछाराम पुत्र अर्जुनराम
1.3. परागाराम पुत्र अर्जुनराम
1.4. वलियादेवी पत्नी अर्जुनराम
2. पोकरराम पुत्र भीखाराम
3. पुंजाराम पुत्र खेताराम
4. विशनाराम पुत्र गोमाराम
5. मंगलाराम पुत्र गोमाराम
6. भगवत पुत्र मांगीलाल
7. नेनूदेवी पत्नी पुंजाराम जातियान मेघवाल निवासी पुराना गांव, बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर
8. लेहरीदेवी पत्नी बाबुलाल जाति मेघवाल निवासी चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 51/17

आदेश

खसरा नं. 1047/819 रकबा 19.00 बीघा मौजा पुराना गांव पटवार मण्डल बायतु पनजी भू अभिलेख वृत बायतु पनजी तहसील बायतु जिला बाड़मेर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2017/ 345 to 349

दिनांक– 18/05/2017

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी बायतु पनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खुशलाराम पुत्र खेताराम।
4. विप्रार्थी श्री अर्जुनराम पुत्र भीखाराम के का.मु. ईशराराम वगैरा 11
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Scanned by CamScanner